न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 24/17

हरनेकसिंह पुत्र बलवन्तसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख निवासी नेतेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान।
2. गुरदेवसिंह
3. दिलावरसिंह
4. बख्तावरसिंह
5. सुखदर्शनसिंह
6. गुरसेवकसिंह

पिसरान बलवन्तसिंह अकवाम जटसिख सकनाए चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 361 दिनांक 18–11–2016
उप तहसीलदार, श्रीगंगानगर शिविर नेतेवाला
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
1.श्री सुरेन्द्रसिंह भनोत, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री मनोहर लाल सहारण, अधिवकता, रेस्पोडेन्ट सं0 2से 6
3.राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1

आदेश **दिनांक : 09–06–2017**

प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 6 सगे भाई हैं। अपीलांट के दादा हरनामसिंह पुत्र शेरसिंह के पास चक 2 सी छोटी तहसील श्री गंगानगर में पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि थी जिसको सन् 1976 में विक्रय करके हरनामसिंह ने अपने परिवार के नाम भूमि चक 5 के तहसील श्री गंगानगर व चक 6 ए.पी.एम. तहसील अनूपगढ में कृषि भूमि खरीद कर ली तथा इस भूमि से प्राप्त आय से चक 2 सी छोटी व चक 3 सी छोटी तहसील श्री गंगानगर में परिवार के सदस्यों के नाम से जमीन खरीद ली, जिसमें अपीलांट का नाम भी दर्ज

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है। चक 6 ए.पी.एम. तहसील अनूपगढ की भूमि को विक्रय करके उक्त भूमि को बनाया गया है। **इस प्रकार समस्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की जद्दी व अविभाजित के रूप में दर्ज हुई है।** चक 17 जी जी तहसील श्री गंगानगर के खाता सं0 15/11 मु0 नं0 21 की 6.325 है0 व मु0 नं0 25 की 1.797 है0 कुल 8.122 है0 रकबा भी नन्दकौर पत्नी हरनामसिंह, बलवन्तसिंह पुत्र हरनामसिंह, गुरदेवसिंह, हरनेकसिंह पिसरान बलवन्तसिंह के नाम से क्रय किया गया तथा यह भी हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि बनी। परिवार बढ़ जाने व संयुक्त हिन्दु परिवार को कायम रखना संभव नहीं रहने के कारण तथा अपीलांट नेतेवाला तहसील श्री गंगानगर में रहने व रेस्पोडेन्ट चक 2 सी छोटी व 3 सी छोटी की भूमि को काश्त कर रहे होने से पारिवारिक समझौता द्वारा यह तय किया गया कि चक 17 जी जी की भूमि का हकदार अपीलांट रहेगा तथा चक 2 सी छोटी व चक 3 सी छोटी की भूमि के हकदार रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 5 रहेगें। चक 17 जी जी की भूमि में क्योंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 5 के अलावा अन्यों का नाम भी दर्ज हो गया था। **इस बारे में बाद में दस्तबदारी करवाई गई जबकि पारिवारिक समझौता के कारण रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5 के मन में लालच आ गया, जिसपर अपीलांट द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पारिवारिक समझौते की पालना के अन्तर्गत एक वाद सं0 88/14 उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर में हरनेकसिंह बनाम गुरदेवसिंह आदि पेश किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है।** धारा 212 आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपीलाधीन इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया है। केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर कानूनन कोई इंतकाल नहीं किया जा सकता बल्कि इंतकाल के लिए कानूनी व न्यायिक प्रकिया अपनाना आवश्यक होता है। अपीलांट को शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया, न ही आपति पेश करने का अवसर दिया गया है और न ही सुनवाई हेतु बुलाया गया है। न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना नहीं होने एवं प्रभावित पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन इंतकाल पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल नियमों की पालना नहीं की है तथा न ही लैण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 119 से 126 की पालना नहीं की गई है जबकि इन आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार सर्वप्रथम कब्जा के बारे में जॉच करना आवश्यक था क्योंकि कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जिन निगरानियों के निर्णय होने का कथन किया है वह किसी प्रकार से कथित दस्तबदारियों के संबंध में नहीं थी बल्कि मुकदमा मुन्तकिल करने तथा पक्षकार बनने के विवाद के संबंध में थी।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलांट के लड़के रणजीतसिंह ने अपने अधिकारों की घोषणा के लिए कार्यवाही की हुई है। दौराने दावा किया गया इंतकाल कानूनन शून्य कहलाता है क्योंकि ऐसे इंतकाल से दावा के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है तथा अपीलांट दावा में अपने अधिकारों से वंचित हो सकता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख रूल्स के आज्ञापक प्रावधानों के नियम 119 से 126 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार के समक्ष यह तथ्य था कि घोषणा का नियमित वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब नियमित वाद दोनों पक्षकारों के मध्य सक्षम राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हो तो नामान्तरणकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये। अपने इस तर्क के समर्थन में 1992 आर. आर. डी. पेज 279, 2003 (2) आर. आर. टी. पेज 886 एवं 2004 (2) आर. आर. टी. पेज 862 एवं 1140 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। लिखित बहस में आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरणकरण विरासतन नहीं खोला गया है। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत जवाब दिनांक 7–3–17 के पैरा सं0 6 में कथन किया है कि जब तक सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड दस्तावेज निरस्त नहीं हो जाता तब तक कानूनन इंतकाल निरस्त नहीं हो सकता। उक्त तथ्य विधि अनुसार सही नहीं है क्योंकि प्रथम तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदार को ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वह अपनी जोत को दस्तबदारी के माध्यम से ट्रान्सफर कर सके। अपने इस तर्क के समर्थन में 2008 (2) आर. आर. टी. पेज 850 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इसलिए तथाकथित दस्तबदारी अवैध एवं शून्य है। द्वितीय – कोई व्यक्ति अपना हक एवं अधिकार ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत ही कर सकता है न किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में। अपने इस तर्क के समर्थन में 1987 ए0आई0आर0 (पेज संख्या अंकित नहीं है) का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील मीमो के तथ्यों, लिखित बहस के तथ्यों के प्रकाश में अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि नामान्तरण संबंधी कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसके द्वारा हक व हिस्सा की घोषणा नहीं हो सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नामान्तरणकरण से अपीलांट को भी तीन बीघा रकबा प्राप्त हुआ है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के फर्जी व कूटरचित होने का कोई अन्देशा नहीं है क्योंकि स्वंय अपीलांट की फोटो भी इन दस्तावेजों पर लगी है। इंतकाल सं0 361 दिनांक 18–11–16 रजिस्टर्ड दस्तबदारियों का इंतकाल है। यह दस्तबदारियां सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत बहनों द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा हक त्याग के तहत करवाई गई है न कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत। अगर कोई व्यक्ति इन रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबदारियों से व्यथित है तो वह जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से इन्हें निरस्त नहीं करवा लेता तब तक कानूनन अपीलाधीन इंतकाल निरस्त नहीं हो सकता है। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसमें घरू बंटवारा पूर्व/वर्तमान सही है अथवा नहीं ? इस बारे में नियमित वाद द्वारा ही इस घोषणा संबंधी जटित प्रश्न का निस्तारण हो सकता है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में उनकी बहिन/भान्जियों ने जो दस्तबदारियॉ करवाई हैं, उसमें उनकी सहमति व अपनी फोटो इन दस्तावेजों पर लगाई हैं। दस्तबदारियों के माध्यम से सभी भाईयों को बराबर का हिस्सा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन इंतकाल पारित करने के समय किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं था। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में 2005 आर आर टी पेज 774, 2009 आर आर डी पेज 303 एवं 2014–15 आर आर टी पेज 467 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 361ग्राम 17 जी जी पटवार हल्का नेतेवाला के पटवारी द्वारा दिनांक 13–5–14 को दस्तबदारी क्रमांक 002136 से 002139 दिनांक 23–5–2007 उप पंजीयक, श्री गंगानगर से बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, के आधार पर एवं तहसीलदार, श्री गंगानगर के आदेश दिनाक 1148 इिनांक 12–5–14 के अनुसरण में खोला गया है। **भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 15–5–14 को रिपोर्ट की गई कि " मिलान किया अंकन सही है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी स्थगन नहीं है"। दिनांक 18–11–16 को भू अभिलेख *निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई कि " मुताबिक निर्णय राजस्व मण्डल,* अजमेर निगरानी सं0 5687 एवं 5688 के निर्णय दिनांक 18–7–16 एवं उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर प्रकरण सं0 843/16 निर्णय दिनांक 16–11–16 एवं हल्फनामा खातेदार बखतावरसिंह दिनांक 18–11–16 के अनुसार उक्त रकबा पर कोई स्थगन नहीं है "।**

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

यह तथ्य सही है कि राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने के समय मुताबिक रिपोर्ट भू0 अभिलेख निरीक्षक किसी न्यायालय का स्थगन नहीं था। अपीलाधीन इंतकाल बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तबदारियों के आधार पर स्वीकृत किया गया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने में कोई विधिक अनियमितता नहीं की गई है तथा मेरे विन्रम मत में अपीलाधीन इंतकाल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी बिना किसी विधिक औचित्य के अपीलाधीन इंतकाल को रोके रखना भी समीचीन नहीं था। राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसमें अपीलांट के हक एवं अधिकारों की उद्घोषणा वाद के अंतिम निस्तारण में तय होनी है।

निष्कर्षतः, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन इंतकाल सं0 361 दिनांक 18–11–16 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 09–06–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायानय में सुनाया गया।

9/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।